निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 47 / 2025
दायरा दिनांकः—09.06.2025
निर्णय दिनांकः— 16.09.2025

उनवान

1. रघुनाथ आयु 70 साल पुत्र रतनलाल जाति मालव धाकड निवासी ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मदनलाल आयु 75 साल पुत्र रतनलाल जाति मालव धाकड निवासी ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. धापूबाई आयु 65 वर्ष पत्नि प्रभुलाल जाति मालव धाकड निवासी ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 16.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भानू कुमार गुप्ता – प्रार्थी
2. श्री अशोक मेहता – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 व 2 के शामलाती खाते व कब्जे काश्त में कुल ख0नं0 242 रकबा 11 बीघा वाके माल कडैयानोहर तहसील छबडा में स्थित है। नकल नामान्तकरण सं० 1548 व नक्शादेस की कोपी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। एवं वर्तमान खाता सं0 531 के ख0नं0 242/1 रकबा 0.5059 एवं ख०नं० 242/2 रकबा 0.4173 कुल खसरा 2 रकबा कुल 0.9232 हैक्टयर वाके माल कडैयानोहर तहसील छबडा में प्रार्थी के खाते दर्ज जमाबन्दी हैं। दिनांक 8—11—2023 को प्रतिवादी अप्रार्थी कम 3 मय टीम राजस्व रेकार्ड मौके पर पंहुची एवं ख०नं0 242/1 रकबा 2 बीघा 242/2 रकबा 1.13 बीघा कुल 2 किता रकबा कुल 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि का सीमाकंन कराया गया। प्रार्थी से विभाजन के समय विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाये गये उससे पूर्व नापकर नहीं बताया गया एवं प्रार्थी को एक भाग रोड पर एक भाग पीछे की और दे दिया गया एवं अप्रार्थी कमांक 1 व 2 दोनो को मुख्य रोड पर हिस्सा दे दिया गया इसीलिए उक्त नक्शे की तरमीम कर पुनः

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हुआ संशोधित किया जाकर तीनो भाग रोड से बराबर–2 सीमाज्ञान करवाया जाकर नक्शे में किया गया इन्द्राज का दुरुस्तीकरण किया जाकर पुनः पैमाईश करवाया जाना न्याय हित मे अत्यावश्यक है। क्यो कि प्रार्थी को उक्त हिस्सा ख0नं0 242/1रकबा 0.5059 एवं ख०नं० 242/2 रकबा 0.4173 कुल खसरे 2 रकबा कुल रकबा 0.9332 हेक्टयर में प्रार्थी के खाते मे दर्ज किया गया जो दो भागो मे नापकर पृथक 2 नक्शा देस व जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है जब कि अप्रार्थीगण कम 1 के हिस्सा मे ख0नं0242 एवं अप्रार्थी कम 2 के हिस्से में ख0नं0 242/3 नक्शा देस व जमाबन्दी मे दर्ज किया गया है। प्रार्थी को ख0नं0 242/1 सरकारी जमीन में नापकर दिया गया है। इस प्रकार से प्रार्थी की उक्त ख0नं0 242/1 पडत पडी हुयी है। इस प्रकार से नक्शा टेस मे उक्त भूमि एकमुश्त सीमाओं का सीमाज्ञान करवाकर दुरूस्त किया जाना न्याय हित में अत्यावश्यक है। क्यो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण कम 1 व 2 के मध्य सीमाओ को लेकर आपसी विवाद बना रहता है। प्रार्थी को गलत सीमाज्ञान कर उक्त दोनो नम्बर ख०नं० 242/1 रकबा 2 बीघा एवं ख0नं0 242/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि कुल 3 बीघा 13 बिस्वा वाके माल कडैयानोहर तहसील छबडा नक्शा देस मे दर्ज किया गया है को सही तरीके से पैमाईश करवा कर इन्द्राज दुरूस्तीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है यदि उक्त इन्द्राज दुरुस्तीकरण सही नही किया गया व वास्तविक सीमाओ का निर्धारण नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से नही की जा सकेगी प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादो मे उलझना पडेगा। दिनांक 2/6/2025 को प्रार्थी पुनः श्रीमान हल्का पटवारी जी हल्का कडैयानोहर से मिला तो उन्होने कहा कि कोर्ट आदेश लेकर आओ तब जाकर उक्त नम्बर दुबारा पैमाईश कर सही दर्ज होंगे। प्रार्थना पत्र वाद कारण सर्वप्रथम एवं अन्तिम बार दिनांक 2/6/2025 को प्रार्थी पुनः श्रीमान हल्का पटवारी जी हल्का कडैयानोहर से मिला तो उन्होने कहा कि कोर्ट आदेश लेकर आओ तब जाकर उक्त नम्बर दुबारा सीमाज्ञान कर नक्शा दुरूस्त कर सही दर्ज होंगे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 531 नक्शा ट्रेस नकल नक्शा ट्रेस फोटो कापी मौका पर्चा दिनांक 08.11.2023 नकल नामान्तरण संख्या 1548 दिनांक 16.6.2016 ग्राम कडैयानोहर पेश की गई।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब में पेश हुआ कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात का दिनांक 16/06/2016 को राजस्व केम्प ग्राम कडैयानोहर में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा कर सीमाज्ञान कर व पैमाईश करने के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित इन्तकाल की अपील ए.डी. एम. साहब बारां मे करने पर प्रार्थी की अपील ए.डी.एम. साहब बारां द्वारा दिनांक 19/12/2018 प्रकरण संख्या 131/2017 निस्तारित कर खारिज फरमा दी गई है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रूघनाथ बनाम मदनलाल वगै. वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 183 प्रस्तुत किया गया था जिसमे प्रार्थी द्वारा मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात संलग्न नक्श अनुसार दो हिस्सो मे विभाजित करवाने का अनुतोष चाहा गया था उसी अनुतोष अनुसार राजस्व केम्प ग्राम कडैयानोहर मे दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

16/06/2016 को आपसी सहमति से विभाजन कर पृथक जमाबंदी मे दर्ज कर नक्शे ट्रेठे मे तरमीम की गई है इसलिए अब प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से काबिल खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी 1 व 2 प्रस्तुत कर सविनय है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा में स्थित है। दिनांक 08.11.2023 को राजस्व टीम मौके पर पहुंच कर खसरा नम्बर 242/1 रकबा 2 बीघा 242/2 रकबा 1.13 बीघा का सीमा ज्ञान कराया प्रार्थी से विभाजन प्रस्ताव तैयार करतें समय हस्ताक्षर करवाये गये प्ररन्तु भूमि नाप कर नही बताई गई प्रार्थी को एक भाग रोड पर तथा एक भाग पीछे की ओर दे दिया गया। इसलिए नक्शे की तरमीम पुनः नक्शा संशोधन किया जाकर तीनो भाग रोड पर बराबर–बराकर सीमाज्ञान करवाया जाकर नक्शा में इन्द्राज कर दुरूस्तीकरण किया जावें। क्योकि प्रार्थी को उक्त भूमि को भागों में दी गई है प्रार्थी को खसरा नम्बर 242/1 सरकारी भूमि में नापकर दी है प्रार्थी की खसरा नम्बर 242/1 की भूमि पडत पडी हुई है प्रार्थी का एक ही स्थान पर एक मुश्त भूमि सीमाज्ञान करवाया जाकर दी जावें। तथा प्रार्थी की भूमि का नक्शा दुरूस्त किया जावें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी का दिनांक 16.06.2016 को राजस्व केम्प ग्राम कडैयानोहर में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से बटवारा कर सीमाज्ञान व पैमाईश करने के पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थी को अपने–अपने हिस्से पर कब्जा दिया था। प्रार्थी द्वारा नामान्तरण की अपील माननीय न्यायालय एस.डी.एम बारां में दी गई थी जो दिनांक 19.12.2018 को निस्तारण कर खारिज की गई। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र धारा 53,188,183 आर0टी0एक्ट बउनवान रूघनाथ बनाम मदनलाल पेश किया था प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर राजस्व केम्प कडैयानोहर में दिनांक 16.06.2016 को आपसी सहमति से विभाजन कर पृथक जमाबन्दी में दर्ज कर नक्शे में तरमीम की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेवल नही होने से खारिज फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कडैयानोहर के खसरा नम्बर 242/1 रकबा 0.5059 है0 व खसरा नम्बर 242/2 रकबा 0.4173 है0 खातेदार रूघनाथ पुत्र रतनलाल जाति धाकड सा0देह का मौका देखा गया व प्रार्थना पत्र की जॉच की गई ग्राम कडैयानोहर के नामान्तरण संख्या 1548 दिनांक 16.06.2016 जर्ये सहमति विभाजन (दिनांक 16.06.2016 को क्रमांक/भू.अ./06/14 राजस्व केम्प कडैयानोहर) से खसरा नम्बर 242 रकबा 11 बीघा का विभाजन मदनलाल पुत्र रतनलाल धाकड सा0देह को खसरा नम्बर 242 रकबा 3.13 बीघा रूघनाथ पुत्र रतनलाल धाकड सा0देह को खसरा नम्बर 242/1 रकबा 2.00 बीघा खसरा नम्बर 242/2 रकबा 1.13 बीघा धापूबाई पत्नि प्रभूलाल धाकड सा0देह को खसरा नम्बर 242/3 रकबा 3.14 बीघा के मध्य बटवारा हुआ मुताबिक बटवारा नजरी नक्शा तैयार किया जो वर्तमान में संलग्न है उक्त नजरी नक्शानुसार एवं विभाजन अनुसार प्रार्थी रूघनाथ को खसरा नम्बर 242/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि रोड पर तथा 242/2 रकबा 1.

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बीघा भूमि रोड के पीछे की तरफ दो स्थानों पर भूमि दी गई। है प्रार्थी रूघनाथ उक्त सहमति विभाजन से सन्तुष्ट नही है तथा दुबारा बटवारा कराकर सम्पूर्ण भूमि 3.13 बीघा रोड पर लेना चाहता है वर्तमान में मौके पर सभी खातेदार नजरी नक्शानुसार बैठे हुए है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 531 में रूघनाथ पुत्र रतनलाल जाति धाकड सा0देह बतौर खातेदार दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 05.06. 2025 के अनुसार भूमि का बटवारा अनुसार तरमीम होना पाया गया तथा नक्शा ऑनलाईन तरमीम हो चुका नक्शा नामान्तरण संख्या 1548 दिनांक 16.06.2016 मुताबिक सहमति विभाजन के अनुसार खोला जाकर तस्दीक किया गया। प्रार्थी द्वारा उकत नामान्तरण की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां में की गई रूघनाथ बनाम मदनलाल जिसका निर्णय दिनांक 19.12.2018 को पारित कर माननीय न्यायालय द्वारा यह कहतें हुए खारिज की गई कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित विभाजन पत्र आदेश दिनांक 16.06.2016 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 में जारी किया गया है जिसमें आपसी सहमति से विभाजन किया गया है जिस पर अपीलान्ट एवं अन्य के भी हस्ताक्षर है उसी के अनुरूप नामान्तरण संख्या 1548 दिनांक 16.06.2016 वाके ग्राम कडैयानोहर खोला जाकर निर्णित किया गया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित नही होना बताया तथा अपीलान्ट की अपील खारिज की गई। प्रस्तुत आपसी सहमति विभाजन के अनुसार प्रार्थी रूघनाथ व अन्य सहखातेदारों के हस्ताक्षर है तथा विवादित भूमि का नजरी नक्शा बना हुआ है यदि प्रार्थी उक्त सहमति विभाजन से असन्तुष्ट था तो प्रार्थी सक्षम न्यायालय में इसे चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है परन्तु प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 अन्तर्गत एल0आर0एक्ट के तहत अनुज्ञेय नही है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनवल होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेवल नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)